

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (मृतीय) - जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्‍नोई  
2. प्रकरण संख्या : 12/2021  
3. उनवान : सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा मुख्यालय सारनलेक  
जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

लादुराम पुत्र भुराराम जाति नायक नि० ग्राम ड्योडी तहसील  
फुलेरा जिला जयपुर गैर खातेदार।

-अप्रार्थीगण

4. निर्णय दिनांक : 27/6/25  
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियमावली कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा ने एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत नियमावली कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम काल्या, पटवार हल्का दोबडी, तहसील फुलेरा में स्थित खसरा नम्बर 66/4 रकबा 25290 हैक्टेयर किस्म बारानी 4 लादुराम पुत्र भुराराम जाति नायक हिस्सा सम्पूर्ण नि० ग्राम ड्योडी तहसील फुलेरा जिला जयपुर के नाम राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज है। पटवारी हल्का दोबडी, तहसील फुलेरा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गैर खातेदार लादुराम पुत्र भुराराम जाति नायक का सम्पूर्ण हिस्से पर कभी कोई कब्जा काशत नहीं रहा है और ना ही मौके पर कब्जा है तथा ना ही प्रार्थी ने आवंटन शर्तों की पालना की है। अतः आवंटन नियमों की शर्तों का पालन नहीं होने से उक्त भूमि सिवायचक दर्ज कर आवंटन निरस्त करने की आज्ञा पारित की जावे।

प्रार्थना पत्र 14(4) प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को तलबी नोटिस जारी किये गये। तामील रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी फौत होने बताया गया है। रजि० नोटिस जारी करने पर अप्रार्थी का पता पर निवास नही करने का अंकन करते हुये नोटिस अदम तामील प्राप्त हुये। पत्रावली लम्बे समय से विचाराधीन है। किन्तु प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा द्वारा रिकार्ड तथा अप्रार्थी के सही पते की सूचना नही भिजवाई गई तथा प्रार्थी द्वारा आवंटन रिकार्ड व खसरा गिरदावरी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा का रेफरेंस प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि वे प्रकरण की जाँच कर आवंटियों के पूर्ण पते व वांछित आवंटन रिकार्ड एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रकरण पुनः प्रस्तुत करें।

न्यायालय में आज दिनांक 27/6/25 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुनार हेतु दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तस्वीब वाखिल दफ्तर हो।



(कुन्तल विश्‍नोई)  
अति. जिला कलक्टर एवं  
जिला मजिस्ट्रेट (मृतीय) जयपुर